न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष.

निगरानी प्रकरण कमांक 1246–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 05–01–2013 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील खकनार जिला बुरहानपुर प्रकरण कमांक 01/2012–13/अ–70.

.....

रामप्रसाद पिता रामलाल
निवासी ग्राम सागमली तहसील खकनार
जिला बुरहानपुर

..... आवेदक

विरूद्ध

मॉगीलाल पिता मोतीराम
निवासी सागमली तहसील खकनार
जिला बुरहानपुर म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री ओ.पी.शर्मा एवं टी.टी.गुप्ता, अभिभाषक–आवेदक
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 6/1/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील खकनार जिला बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–01–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार के समक्ष प्रकरण कमांक 1/अ–70/2012–13 लंबित रहने के दौरान दिनांक 5–1–2013 की पेशी पर आवेदक के सूचना उपरांत भी अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । आवेदक द्वारा उसी दिनांक को एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे पुनश्चः कर तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया जाकर एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त की गई । इसी दिनांक को आवेदक द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जबाव दिये जाने हेतु अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है । तहसीलदार द्वारा पूर्व में अवसर दिये जाने के कारण आवेदक का अवसर समाप्त किया जाकर प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया है । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा आवेदक को जबाव प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिये जाने के कारण आवेदक द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का उत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाये । तहसीलदार द्वारा आवेदक को जबाव प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जाकर आवेदन पत्र निरस्त करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

(2) अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसकी प्रति एवं दस्तावेजों की प्रतियॉ आवेदक को उपलब्ध नहीं कराई गई है और बिना प्रति प्राप्त हुये आवेदक द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है । इस बिन्दु पर तहसील न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा जब आवेदक को जबाव प्रस्तुत करने का अवसर ही प्रदान नहीं किया जायेगा तब तक वह गुणदोष पर अपना पक्ष नहीं रख सकता

है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर आवेदक को जबाव प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का अनावेदक भूमिस्वामी है और तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रचलित है जहॉ आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर उपलब्ध है, और वह साक्ष्य से प्रश्नाधीन भूमि पर अवैध कब्जा नहीं किया जाना प्रमाणित कर सकता है । अतः उनके द्वारा निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि यद्यपि तहसीलदार द्वारा आवेदक को जबाव प्रस्तुत करने हेतु अनेक अवसर दिये गये हैं परन्तु न्यायहित में यह आवश्यक है कि तहसीलदार आवेदक को जबाव प्रस्तुत करने हेतु एक अंतिम अवसर देकर प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत करें । अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–1–2013 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदक को जबाव प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान कर प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत करें और आवेदक को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 16–02–2016 को तहसील न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाव प्रस्तुत करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील खकनार जिला बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–01–2013 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर